114

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 7058-एक/2015 - विरूद्ध- आदेश दिनॉक 21-9-2015 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल - प्रकरण कमांक 601/2012-13 अपील

श्रीमती अर्चना पत्नि अंतेश कुमार
ग्राम मौरोदा, हाल निवास त्यौंदा रोड
गॅज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0 ---अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
जिला विदिशा, मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री बी0एन0मिश्रा)
(रिस्पाण्डेन्ट अनुपस्थित)

आ दे श
(आज दिनॉक 9 -12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल के प्रकरण कमांक 601/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47 (क) 5 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र रामगोपाल चौरसिया से भूमि सर्वे कमांक 154/2 रकबा 0.410 हैक्टर क्रय करने का अनुबंध किया तथा दिनांक 16-12-11 को अनुबन्ध पत्र स्टाम्प रूपये 86,500/- लेकर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक व्दारा उपरोक्त भूमि पर स्थगन होना बताते हुये विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया, जिसके कारण विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं हो सका। अपीलांट व्दारा आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा से स्टाम्प

रूपये 86,500/- की राशि रिफन्ड करने की मॉग की। कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने प्रकरण कमांक 40 सी-132/2011-12 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31-10-2012 पारित करके स्टाम्प की राशि रिफन्ड योग्य न मानते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त भोपाल संभाग ने प्रकरण कमांक 53/12-13 अपील अपर आयुक्त,भोपाल संभाग को दिनांक 15-4-13 को निराकरण हेतु अंतरित किया , जिस पर से अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 601/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पाण्डेन्ट पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4/ अपीलांट के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपीलांट ने ओम प्रकाश चौरसिया पुत्र रामगोपाल चौरसिया से भूमि सर्वे कमांक 154/2 रकबा 0.410 हैक्टर क्रय करने का अनुबंध किया तथा दिनांक 16-12-11 को अनुबन्ध पत्र स्टाम्प रूपये 86,500/- लेकर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। उप पंजीयक व्दारा उपरोक्त भूमि पर स्थगन होना बताते हुये विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया, जिसके कारण विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं हो सका । इस प्रकार अपीलांट व्दारा क्रय किये गये स्टाम्प अनुपयोगी हो गये। जब अपीलांट व्दारा 16-12-2011 को निष्पादित दस्तावेज के स्टाम्प वापिसी हेतु दिनांक 13-3-12 को आवेदन प्रस्तुत किया, कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने प्रकरण कमांक 40 सी-132/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2012 से स्टाम्प की राशि रिफन्ड योग्य न मानते हुये प्रकरण निरस्त कर दिया। विचार योग्य है कि क्या अपीलांट व्दारा क्रय किये गये स्टाम्प की राशि नियमानुसार वापिसी योग्य है ? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 इस प्रकार है :-

50. धारा 49 के अधीन राहत किये जाने के लिये आवेदन कब दिया जायेगा-

धारा 49 के अधीन राहत दिये जाने के लिये आवेदन निम्नलिखित कालावधियों के भीतर अर्थात -

(1) खंड (घ)(5) में वर्णित मामलों में लिखित की तारीख से दो मास के भीतर

(2) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में जिस पर उसके किसी पक्षकार व्दारा कोई भी लिखित निष्पादित नहीं की गई है, स्टाम्प के खराब हो जाने के छह माह के भीतर

(3) किसी ऐसे स्टाम्पित कागज के मामले में, जिस पर उसके पक्षकारों में से किसी के व्दारा कोई लिखित निष्पादित की गई है, लिखित की तारीख के छह मास के भीतर या यदि उस पर तारीख नहीं है तब ऐसे व्यक्ति के व्दारा, जिसके व्दारा वह प्रथम वार या अकेले ही निष्पादित की गई थी, उसके निष्पादित किये जाने के छह मास के भीतर किया जाएगा।

जब भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 50 में उपरोक्तानुसार व्यवस्था दी गई है, अपीलांट महिला है एंव पर्दानसीन महिला होना बताया गया है, की परिस्थितियों पर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा ने एंव अपर आयुक्त,भोपाल संभाग ने ध्यान न देने में भूल की है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल के प्रकरण कमांक 601/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-9-2015 एंव कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 40 सी-132/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट व्दारा क्रय किये गये स्टाम्प की राशि 86,500/-रूपये वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर